कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश
17 न्यूबेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्याः 8/870/ /विकास/2020-21 दिनांकः 16 जुलाई, 2020

1. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।
3. समस्त प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिलें, उ.प्र.।

विषयः टिड्डी दल के आकमण की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 14-07-2020 को मा. कृषि मंत्री, उ.प्र. की अध्यक्षता में प्रदेश में टिड्डी दल के आकमण की रोकथाम पर सम्पन्न हुई बैठक में निम्न निर्देश दिये गये है:-

1. चीनी मिलों एवं विभाग के पास कीटनाशक छिडकाव हेतु टैंकर एवं अन्य अवस्थापना उपलब्ध है उसकी संख्या की सूचना मिलवार जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दें।
2. जिन-जिन क्षेत्रों में टिड्डी दल ने 24 घंटे में रात्रि प्रवास किया है उन क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से यह निरीक्षण करा लिया जाए कि कहीं टिड्डियों द्वारा रात्रि विश्राम के समय अंडे तो नहीं दिये गये है। चार हफ्ते में अंडे से लारवा एवं निम्फ बन जाते है, इसलिए इसी समय उनको नष्ट करने के लिए वहॉ पर क्लोरोपायरीफॉस 50 प्रतिशत का रसायनिक छिड़काव अत्यन्त उपयोगी है अन्यथा वह चार हफ्तों में परिपक्व टिड्डों के रूप में विकसित हो जाते है। अतः ससमय इस संबंध में समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।
3. सभी क्षेत्रों में आगामी 4 सप्ताह तक कड़ी निगरानी बनाये रखी जाए क्योंकि टिडिड्यों की पुनः वापसी की सम्भावना है। टिडिड्यों की किसी भी गतिविधि पर उन्हें तत्काल नष्ट कर दिया जाए।

इनके रोकथाम के सम्बन्ध में **''प्रीवेन्शन इज बेटर दैन क्योर''** के सिद्धान्त को अपनाते हुए जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए कड़ी निगरानी बनाये रखने हेतु कृषकों को जागरूक कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, जिससे कि प्रत्येक कृषक इसके प्रति जागरूक रह कर अपनी फसलों को होने वाले संभावित नुकसान से बच सके।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.

पृष्ठांकन संख्याः 80/870/ति **/तददिनांकित** 16/7/2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, कृषि, उ.प्र. शासन।
3. निदेशक (कृषि), कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अनु सचिव, चीनी उद्योग अनुभाग–1, उ.प्र. शासन।

(आर. पी. यादव)
अपर गन्ना आयुक्त (विकास)